International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 5 Issue 1, January-February, 2017, Impact Factor: 1.554

राजनीतिक और प्रशासनिक अपराधीकरण का भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव

डॉ. राजेश चौधरी

लेक्चरर-राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय होद (खण्डेला) सीकर, राजस्थान

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में राजनीति और अपराध परस्पर इतने घुलमिल गए है कि इनके मध्य स्पष्ट विभाजन-रेखा खींचना बहुत कठिन हो गया है। वर्तमान समय में राजनीति का अपराधीकरण हो गया है तथा अपराध का राजनीतिकरण हो गया है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह दोनों स्थितियों वर्तमान शासक वर्ग की राजनीतिक संस्कृति की एक विशेषता बन गई है। राजनीति के अपराधीकरण का आशय है कि "अपराधियों का राजनीतिक दलों तथा संसद सहित सभी विधायी संस्थानों में सीधे प्रवेश। "भारत में वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण दिनों-दिन बढ रहा है। सारा प्रशासन प्राथमिक रूप से उनकी सुख-सुविधाओं के लिए बना है। इसी धारणा से विशिष्ट वर्ग मुफ्तखोरी करने, शासन का व्यक्तिगत-पारिवारिक सुविधाओं के लिए प्रयोग करने, सिफारिश, भाई-भतीजावाद आदि के रास्ते अपने निजी अधिकार बढ़ाने आदि की जो प्रवृत्ति शुरू होती हैं वह पार्टी और व्यक्ति के भेद को मिटाती है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कमीशन खाने, धोखाधड़ी करने की प्रवृत्ति राजनीति को सफेदपोश और नकाबधारी अपराधियों का जमावड़ा बना देती है।

शब्दकोश: पारदर्शिता, निष्पक्षता, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कमीशन खाने, धोखाधड़ी, अपराधियों का राजनीतिकरण।

प्रस्तावना

लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रक्रिया तभी सार्थक मानी जाती है, जब इसका संचालन पारदर्शिता, निष्पक्षता और नैतिकता के साथ हो। आज भारत संकट और समस्या के दौर से गुजर रहा है।आज राजनीति में टिके रहने के लिए यह आवश्यक-सा बन गया है कि अपराध-जगत् का सहयोग किया जाए। फलतः भारत की राजनीति में आज अनेक जाने-माने अपराधी प्रतिष्ठित हो चुके हैं। प्रायः प्रत्येक राजनीतिक दल के नेता अन्य राजनीतिक दलों माफियाओं का गिरोह बताते रहते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे राजनीतिक जीवन में अपराधवृत्ति का समावेश आरम्भ से ही रहा है। भारत में वयस्क मताधिकार आधारित चुनाव, जन प्रतिनिधि सदन एवं उत्तरदायी सरकार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्यशील है। हमारे देश में चुनाव और सदन के उद्देश्यों एवं कार्यप्रणाली के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए आचार संहिताओं का निर्धारण किया गया है। राजनीतिक लोकतंत्र सहमति और सहभागिता पर आधारित एक सहकारी व्यवस्था होती है, जिसका वर्तमान स्वास्थ्य और भविष्य उसके निष्पक्ष, स्वतंत्र, निर्विकार चुनावतंत्र के आचरण पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में शासन-व्यवस्था जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा सुसंगठित, योग्य और ईमानदार नौकरशाही तंत्र के माध्यम से चलाई जाती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि इन जनप्रतिनिधियों का चरित्र साफ सुथरा और इनकी मंशा जनकल्याणकारी हो।

राजनीतिक भ्रष्टाचार:

वर्तमान में भारतीय राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को खोखला करने में सबसे अधिक भूमिका निभा रहे हैं- भ्रष्टाचार (करप्शन), जातिवाद (कास्टिज्म), और अपराधीकरण (क्रिमिनलाइजेशन)। राजनीतिक अपराधीकरण देश की सभी

समस्याओं की जड़ है। इसके सहारे सभी समस्याएं फलती फूलती हैं। लोकतंत्र प्रक्रिया में अपराधी आसानी से अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं जिसके और भी कई कारण है जो राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं।

नैतिक मूल्यों का पतन के कारण भारतीय राजनीति में जो प्रवृत्ति उभर रही है वे है- राजनीति का व्यवसायीकरण, भ्रष्टाचार, अवसरवादी गठबंधनों की प्रवृत्ति, पद व सत्ता को लोलुपता, क्षेत्रीयता, जाति, धर्म व संप्रदाय की राजनीति, व्यक्ति-पूजा, सांसद व जन प्रतिनिधियों की गुणवत्ता में निरंतर ह्रास आदि, राजनीति अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं।

गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी, युवा वर्ग, विशेषतया शिक्षित बेरोजगारों को राजनीति के अपराधीकरण की ओर धकेला है। संपन्न वर्ग के युवाओं में असीमित लालसाएं और नैतिक पतन भी राजनीति अपराधीकरण की ओर ले जाता है।

सत्ता प्राप्त राजनीतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है इसके लिए वे येन-केन-प्रकारेण किसी भी साधनों एवं नीतियों को अपना लेते हैं। चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहारा लेते हैं। प्रशासन और पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप कर उन्हें डराना-धमकाना एवं दबाव बनाते हैं जिससे प्रशासन के मनोबल में गिरावट आ जाती है तो छल, कपट, धूर्तता तथा इन सब के अतिरिक्त साधनों के धनी ये अपराधी और आपराधिक रिकार्ड वाले राजनीतिज्ञ समूची व्यवस्था पर हावी हो जाते हैं। अनवरत चुनाव और अहर्निश सत्ता राजनीति का दुश्चक्र लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता को आघात पहुंचाते हैं तथा अपराधियों को प्रोत्साहित करते हैं। अपराधियों का राजनीति में प्रवेश चुनाव से प्रारंभ होता है। प्रारंभ में वे फर्जी मतदान, मतदान केद्रो पर कब्जा, धमकी, मारपीट, गुंडागर्दी आदि के आधार पर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को मदद देकर उनके निकट आते हैं।

आए दिन चुनावों की वजह से बड़ी संख्या में अपराधियों को राजनीति में प्रवेश दिया जाता है। इसके साथ ही संसदीय व्यवस्था के कारण प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुमत पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री को सदैव ही अपने पक्ष और विपक्ष के विधायकों की गिनती करनी होती है। सत्ता राजनीति, दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति और स्वयं राजनीतिज्ञ राजनीति के अपराधीकरण के लिए प्रमुख रूप से दोषी हैं। ''अपराधी गिरोह राजनीतिक संरक्षण में फलफूल रहे हैं। राजनीतिज्ञों और अपराधियों का गठबंधन एक समानांतर सरकार चला रहा है, जिसे राज्य को अप्रासंगिक कर दिया है।

अपराधी राजनीतिज्ञों की जनता में स्वीकार्यता भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार जनता क्षेत्रीय समस्याओं एवं जाति प्रमुख की भूमिका निभाती है जिससे अपराधी को चुनाव में लाभ मिल जाता है। शासन की क्षमता, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा में सुधार के राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर राजनीतिज्ञों की इच्छा शक्ति का सर्वत्र अभाव है जिससे अपराधी अपने स्वार्थ सिद्धि में सफल हो जाते हैं एवं उनका हौसला बढ जाता है। समाज में बढते हुए अपराधों और अपराधियों के सामाजिक व्यवस्था तथा राजनीति में प्रतिष्ठित हो पाने का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण देश की समस्त आपराधिक न्याय व्यवस्था का अत्यधिक दोषपूर्ण होना है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में मामलों का लंबा खींचना और धीमी प्रक्रिया अपराधियों को राजनीति में आने का अवसर देती है। दोषी साबित न होने तक, कानून ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता, जिसका लाभ अपराधी तत्व उठाते हैं। आज राजनीति का अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार एक सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें अपराधी छवि वाले नेता ना हों। ऐसे अनेक नेता है जिन पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, हत्याए ं, दंगों जैसे आपराधिक मामले, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप, फिरौती, आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं फिर भी वह चुनाव जीतकर अपराधी से राजनीतिज्ञ बन जाते हैं एवं समाज में निःसंकोच एवं शान से रहते हैं। राजनीतिक अपराधियों द्वारा अनेक राजनीतिक घोटालों का इतिहास भरा पड़ा है, जैसे-

1 प्रतिभूति घोटाला (हर्षद मेहता) 1992

2 जीप-राइफल खरीद घोटाला, 1948

3 हीरा की खान घोटाला, 1956

4 भारतीय जीवन बीमा निगम घोटाला, 1957

5 कैरी घोटाला, 1964 S

6 नागर वाला कांड, 1971 S

7 मारुति उद्योग कांड, 1975 S

8 इंडियन ऑयल कांड, 1980

9 सीमेंट घोटाला S

10 बोफोर्स कांड, 1987 S

11 पनडुब्बी घोटाला, 1987 S

12 कोयला घोटाला, 1989 S

13 चारा मशीन घोटाला, 1989 S

14 एयरबस घोटाला S

15 चीनी खरीद घोटाला, 1993 S

16 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, 1993 S

17 बिहार चारा घोटाला, 1994

18 शेयर घोटाला, 2001 S

19 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला S

20 राष्ट्रमंडल खेल

21 संसद में रिश्वत कांड

22 यूरिया S

23 टेलीफोन S

24 शराब नीति घोटाला, आदि अनेक खुले रूप में भ्रष्टाचार किया जाता है।

राजनीतिक अपराधीकरण का वर्णन

एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर एवं इंडियन वॉच के अध्ययन के अनुसार 2004 के 14वी लोकसभा आम चुनाव में 24 प्रतिशत, 2009 के 15वी लोकसभा के चुनाव में 30 प्रतिशत तथा 16वीं लोकसभा में 34 प्रतिशत सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के थे। संसद, विधानसभा, पंचायत हर स्तर के चुनावों में परंपरागत बाहुबलियों, पेशे से अपराधियों, भूमाफियाओं, तस्करों एवं नक्सलवादियों का दबाव बढ़ता जा रहा है जिससे देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं न्याय व्यवस्था, प्रशासन के सामने एक चुनौती बनकर देश को कमजोर कर रहा है। राजनीति अपराधीकरण लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर विकास कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एसामाजिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है। प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ती है। राजनीतिक अपराधीकरण भ्रष्टाचार, घपलों, घोटालों में डूबी राजनीति, दलबल की राजनीति तथा राजनीतिक मुर्गाबाजी, चुनावों में बढती हिंसा, अपव्यय, सत्ता की शतरंज, प्रतिशेध की राजनीति, लक्ष्य विहीन एवं अवसरवादी

राजनीति, सांप्रदायिकता एवं जातिवाद की राजनीति, काला धन, के साए में पली राजनीति, सिद्धांतहीन राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति का अभाव, राजनीतिक मूल्यों की त्रासदी, संसद का गिरता स्तर, लोकतंत्र, आजादी और संवैधानिक प्रावधानों का मजाक, हत्याएं, आंतकी गतिविधि को बढावा मिला है जो चिंतनीय विषय है। इतना नैतिक पतन हुआ है कि लगता है यदि भगवान भी जमीन पर आ जाएं तो वह देश को नहीं बचा सकते। फिर भी कुछ सुधार के सुझाव देकर आशावान बन सकते हैं। राजनीति अपराधीकरण को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रमुख सुझाव-

अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर कानूनी रोक की व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीतिक दलों में चेतना जागृत किया जानी चाहिए ताकि वे अपराधियों को अपने साथ न जोड़े तथा उन्हें टिकट न दें।

आपराधिक कानूनी व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण सुधारो की आवश्यकता है। न्याय शीघ्र एवं सर्वशुलभ न्याय होना चाहिए जिससे अपराधों को नियंत्रित किया जा सके। शासन की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार हो ताकि शासन अपराधियों एवं आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके। कड़े फैसले लें ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हो।

राजनीतिक दलों और राजनीतिक गतिविधियों में सुधार करें। किसी भी जाति-धर्म का अपराधी हो उसे राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं देनी चाहिए। अपराधियों को राजनीतिक पार्टी के किसी सभा, सम्मेलन में मंच पर स्थान नहीं देना चाहिए।

चुनाव व्यवस्था में सुधार करें और चुनावी राजनीति को व्यवस्थित करना चाहिए। चुनाव व्यवस्था को फर्जी मतदान और बाहुबल, धनबल की शक्ति से मुक्त करना होगा।

प्रेस और मीडिया अपनी भूमिका के प्रति बहुत अधिक सचेत हो और सतर्कता बरतें।

अपराध प्रवृतियों में संलग्न राजनीतिज्ञों के कारनामों को समाज के सामने उजागर कर लोगों को जागृत करें ताकि अपराधी प्रवृत्ति वाले राजनीति में ना आ सके। प्रेस व मीडिया अपराधियों को राजनीति से बाहर खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सामान्य अभिजन और मतदाताओं में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता करें, शिक्षित करें ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग सोच-समझकर कर सकें। भारतीय राजनीति में चैतन्य नागरिकता, राजनीतिक सुचिता, सिद्धांतयुक्त राजनीति, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, चुनाव कानून और प्रक्रिया में सुधार, सांप्रदायिक राजनीति पर अंकुश, प्रभावी कानून व्यवस्था, राजनीतिज्ञों के लिए आचार संहिता, अच्छे व्यक्ति राजनीति से जुड़ें। हमारी संस्कृति की जड़ें मजबूत हो, लोगों में लोकतांत्रिक भावना हो, नागरिकों में व्यक्ति हित नहीं, राष्ट्रीय हित की भावना हो तो काफी हद तक आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा सकते हैं।

प्रशासनिक भ्रष्टाचार

प्रशासनिक भ्रष्टाचार का अभिप्राय ऐसे आचरण से है, जिसकी आशा लोक सेवकों से नहीं की जाती है। यदि लोक प्रशासन अपनी शक्ति, सत्ता एवं स्थिति का प्रयोग जन-सामान्य के लाभों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत लोगों के लिए करने लगे तो वही 'भ्रष्ट आचरण' माना जाएगा। अतः भ्रष्टाचार एक ऐसा व्यवहार है, जिसमें सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत आर्थिक लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक कर्तव्यों से विचलित होकर नियमों का ऐसा उल्लंघन करता है, जिससे कुछ विशेष प्रकार के निजी लाभ प्राप्त हो सके। वास्तविकता यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की छांव में प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी फलता-फुलता रहा है। पहले लोकप्रशासन का क्षेत्र अत्यंत सीमित था, फलस्वरूप भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम थी, परंतु वर्तमान समय में लोक प्रशासन के क्षेत्र का अत्यधिक विकास होने के कारण भ्रष्टाचार की मात्रा में भी असाधारण वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश में विप्लवकारी स्थिति की प्रधानता रही है। देश का विभाजन हुआ, सांप्रदायिक दंगे हुए, जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, कश्मीर का युद्ध तथा देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या आयी। इन सबके फलस्वरूप 'कानून का शासन' खंडित हो गया तथा लोकसेवकों में भ्रष्टाचार के लिए नवीन मार्ग खुल गए। स्वाधीन भारत में कल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य का आदर्श अपनाया गया, जिससे राज्य के कार्यों में असाधारण वृद्धि हुयी। खास तौर से आर्थिक क्षेत्र में राज्य के कार्यों में वृद्धि होने के नियम, नियंत्रण, लाईसेंस, परमीट का युग प्रारंभ हुआ और भ्रष्टाचार के नये आयाम प्रकट हुए।

विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की होड़ ने इस व्याधि को कैंसर की भांति असहाय बना दिया। राज्य तथा केंद्रिय स्तर के मंत्री, संसद तथा विधायिका के सदस्यों का नवीन वर्ग भी भ्रष्ट लोक सेवकों के साथ मिल गया। राजनीतिज्ञों को एहसानमंद बनाने वाले लोकसेवक बदले में निडर होकर हर प्रकार का भ्रष्ट व्यवहार करने लगे। जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ''राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार एक ही सिक्का के दो पहलू हैं।

उपंसहार:

भारतीय राजनीति में बढते अपराधीकरण के प्रति समाज एवं सरकार दोनों ही चिंतित हैं। आज समय आ गया जब देश समस्त अच्छे तत्व चाहे राजनीति, सरकार, प्रशासन, व्यापार, शिक्षा, प्रेस और मीडिया जहां भी हो, एक-एक नैतिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की मांग करें। यदि हम इस समय अपराधीकरण को समाप्त करने में सफल नहीं होते हैं तो यह कैंसर रूपी बीमारी हमारा सर्वनाश कर देगी। अतः समय की मांग है कि राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, जनता, राजनीतिक दल सभी अपने-अपने तरीके से संकल्प शक्ति अपनायें तो इस दिशा में सफलता मिल सकती है। चुनाव में दंगल एवं बाहुबली के प्रयोग पर नियंत्रण किया जाए। राजनीति में अपराधीकरण को नियंत्रित करने के लिए संस्थागत एवं गैर संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति तथा प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्टाचार के गिरफ्त में है। राजनीति और प्रशासन का अपना गहरा संबंध है, चूँकि राजनीति वाले कानून बनाते हैं और प्रशासन के माध्यम से उसे लागू किया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर राजनीति में भ्रष्टाचार व्याप्त हो तो प्रशासन का उसमें संलिप्त होना स्वाभाविक है। अतएव राज और समाज की व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए दोनों में अंतर्निहित भ्रष्टाचार को मिटाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. गोस्वामी, आचार्य भालचंद्र 'प्रखर', हमारी विधान सभाएं, विवेक पब्लिसिंग हाउस, जयपुर, 2005
2. गोस्वामी आचार्य भालचंद्र 'प्रखर', भारत में चुनाव सुधार दशा और दिशा, पोईन्टर्स पब्लिशर्स, जयपुर, 1999
3. इंडिया टुडे, ज्ञान भंडार, नई दिल्ली, मार्च, 2007
4. राजस्थान पत्रिका, जोधपुर 28 जुलाई, 2002
5. राजस्थान पत्रिका, जोधपुर 23 जुलाई, 2002 6 इंडिया टुडे, मार्च, 2007
6. डॉ. पुखराज जैन, डॉ. बी.एल.फड़िया- 'भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स: आगरा